भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *302

21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

असम के चाय कामगारों में तपेदिक होने के बाद फंगल संक्रमण

***302. श्री बैजयंत पांडाः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या असम के चाय कामगारों को तपेदिक होने के बाद फंगल संक्रमण होने का खतरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में कामगारों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

21 मार्च, 2025 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.302 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): चाय बागान कामगारों में टीबी के ईलाज के उपरांत फेफड़ों में फंगल इन्फेक्शन होने के बारे में सरकार को कोई विशेष सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, भारत सरकार ने असम सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तत्वावधान में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) लागू किया है। टीबी से निपटने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

- राज्य और जिला विशिष्ट कार्यनीतिक योजनाओं के माध्यम से टीबी के उच्च रोगभार वाले क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप।
- टीबी रोगियों को नि:शुल्क दवाओं और नैदानिक सेवाओं का प्रावधान।
- सुभेद्य आबादी के बीच टीबी के मामलों की गहन खोज।
- आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टीबी जांच और उपचार सेवाओं का विकेंद्रीकरण।
- टीबी मामलों की अधिसूचना और प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी।
- उप-जिला स्तर तक मॉलक्यूलर नैदानिक प्रयोगशालाओं का विस्तार।
- उपचार की पूरी अवधि के लिए पोषण सहायता के रूप में प्रति रोगी प्रति माह 1,000 रुपये देने की नि-क्षय पोषण योजना।
- तिरस्कार को कम करने, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य आकांक्षी व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए गहन सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) संबंधी क्रियाकलाप।
- टीबी रोगियों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों और सुभेद्य आबादी के लिए टीबी निवारक उपचार का प्रावधान।
- नि-क्षय पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित टीबी मामलों की ट्रैकिंग।
- नि-क्षय मित्र पहल के तहत टीबी रोगियों और संपर्क में आने वाले पारिवारिक सदस्यों को अतिरिक्त पोषण सहायता का प्रावधान।

इसके अतिरिक्त, असम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ने चाय बागानों और इसके आसपास के क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत चाय बागान अस्पतालों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके अलावा, असम राज्य सरकार ने चाय बागान कामगारों के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- चाय बागान स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के माध्यम से टीबी का निःशुल्क निदान और उपचार।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), असम के अंतर्गत 354 चाय बागान स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में परिवर्तित करना।
- समर्पित मोबाइल मेडिकल यूनिटों (एमएमयू) के माध्यम से चाय बागानों में कार्यरत जनसंख्या वर्ग को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना।
- चाय जनजाति और आदिवासी कल्याण निदेशालय के माध्यम से स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम।

*****